राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0
पी. सी. एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स : 0522-2630115, 2630134
वेबसाइट : http://sec.up.nic.in
ईमेल : secup@up.nic.in, secup32@gmail.com

State Election Commission, U.P.
P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow
Phone : 0522-2630130 (O)
Fax : 0522-2630115, 2630134
Website: http://sec.up.nic.in
Email : secup@up.nic.in, secup32@gmail.com

संख्याः /रा0नि0आ0कम्प्यू0कक्ष/2017 लखनऊ : दिनाँक 2/मार्च 2017

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय)
उत्तर प्रदेश।

विषयः नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2017 हेतु निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण तथा उम्मीदवारों के विवरण आयोग की वेबसाइट पर फीड किए जाने हेतु डेटा इन्ट्री, फोटो कापी, लेजर प्रिन्ट, स्कैंनिग तथा फोटोग्राफी इत्यादि की दरें निविदा मंगाकर तय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन माह मई/जून,2017 में कराया जाना प्रस्तावित हैं। इन निर्वाचनों में जनपद स्तर पर निम्न कार्य किए जाने की व्यवस्था की जानी हैः–

कार्य–1. शासन द्वारा परिसीमन किये जाने के उपरान्त नव गठित नगरीय निकायों, जिन नगरीय निकायों का सीमा विस्तार हुआ है एवं उच्चीकृत होने वाले नगरीय निकायों के वार्ड की नवीनतम स्थिति डेटाबेस में अपडेट कर मतदाता सूची तैयार किया जाना।

कार्य–2. आयोग की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण सम्बन्धी अधिसूचना के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जाना।

कार्य–3. आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन में उम्मीदवारों के नामांकन पत्र आयोग की वेबसाइट पर आनलाइन फीड किया जाने हैं जिसमें :–

3.1 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र में दर्ज सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट पर आनलाइन फीड किया जाना।

3.2 नामांकन पत्र तथा उसके साथ संलग्न सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड किया जाना।

3.3 नामांकन पत्र जमा करने की प्राप्ति रसीद आनलाइन तैयार कर उम्मीदवार को दिया जाना।

3.4 नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के सदस्यों की नामांकन पत्र में लगी फोटो को स्कैन कर अपलोड किया जाना। नगर निगम के महापौर तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष के उम्मीदवार की फोटो रिटर्निंग आफिसर कक्ष में डिजिटल कैमरे से लेकर अपलोड किया जाना।

3.5 नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन की स्थिति डेटाबेस में अपलोड किया जाना।

प्रस्तर–3 में उल्लिखित समस्त कार्य रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में किये जायेगें।

उक्त प्रस्तर 1 से 3 में उल्लिखित समस्त कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु जनपद में निम्नलिखित तैयारियां तत्काल की जानी हैं:–

1. मतदाता सूची में मतदाता के विवरण की इन्ट्री की दर।
2. मतदान तथा मतगणना कर्मियों के विवरण Election Staff Deployment (ESD) साफ्टवेयर में फीड किए जाने की दरें।
3. निम्नलिखित प्रिण्टआउट की दरें जनपद की कुल आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जानी हैं:–
    - 3.1 मतदाता सूची।
    - 3.2 नामांकन पत्र की आनलाइन रसीद दिए जाने हेतु।
    - 3.3 निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न आदेशों के प्रिण्टआउट।
    - 3.4 मतदान कर्मियों के प्रथम/द्वितीय/अन्तिम ड्यूटी आदेश।
    - 3.5 मतगणना कर्मियों की प्रथम/अन्तिम ड्यूटी आदेश।
4. Single & Both Side Photo Copy की दरें।
5. नामांकन पत्रों में दर्ज सूचनाओं को डेटाबेस में फीड करना तथा नामांकन पत्र को डिजिटाइज करने हेतु प्रत्येक रिटर्निंग आफिसर को एक कम्प्यूटर/लैपटाप, लेजर प्रिण्टर,एवं स्कैनर (ए.डी.एफ.युक्त) आपरेटर सहित (जिसके द्वारा नामांकन पत्र से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आनलाइन फीड करने के साथ ही डाक्यूमेण्ट को स्कैन कर अपलोड किया जा सके)। दरों का निर्धारण प्रति नामांकन के आधार पर होगा। प्रति नामांकन में औसतन 15 पृष्ठों के स्कैनिंग की आवश्यकता होगी। किसी दर्ज नामांकन पत्र में प्राप्त होने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करने हेतु प्रति पृष्ठ स्कैनिंग की दरें अलग से प्राप्त की जाए।
6. महापौर (नगर निगम) एवं चेयरमैन (नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत) के पदों पर नामांकन की अवधि के दौरान रिटर्निंग आफिसर के साथ कैमरामैन, डिजिटल कैमरा सहित (जो 5 Mega Pixel से कम का न हो) सम्बद्ध रहेंगे। इस हेतु भी दरें प्राप्त की जाएं। इन पदों पर फोटोयुक्त मतपत्र छापे जाने का निर्णय आयोग स्तर पर लिया गया है। मतपत्र में प्रत्याशी का फोटो Black & White होगा। प्रत्याशी का फोटो आसानी से पहचान में आ जाए इसलिए यह आवश्यक है कि डिजिटल फोटो की क्वालिटी यथा सम्भव उच्चतम स्तर की हो।उम्मीदवारों की फोटो रिटर्निंग आफिसर की उपस्थिति में ली जानी है।

प्रस्तर 1 से 3 में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित साफ्टवेयर के संचालन सम्बन्धी निर्देश आयोग द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे।

यदि कतिपय जनपदों में उपरोक्त सभी कार्य जनपद में उपलब्ध संसाधनों से कराए जा सकते हैं तो ऐसी दशा में निविदा आमंत्रित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः इस सम्बन्ध में आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त सभी व्यवस्था प्रत्येक दशा में 20 अप्रैल,2017 तक अवश्य पूर्ण कर लिए जाएं।

भवदीय,

(वेद प्रकाश वर्मा)
अपर निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः 696/रा0नि0आ0कम्प्यू0कक्ष/2017,लखनऊ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
   नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   उत्तर प्रदेश।
5 निदेशक,
   स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी,
   जिला निर्वाचन कार्यालय(पंचायत एवं नगरीय निकाय)उ0प्र0।
7. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
   जिला निर्वाचन कार्यालय(पंचायत एवं नगरीय निकाय)उ0प्र0।

(वेद प्रकाश वर्मा)
अपर निर्वाचन आयुक्त।